न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)
समक्ष : सय्यद दानिश अली

निर्णय की तारीख : **09.04.2023**

प्रकरण संख्या : **84 / 2020**

Registration No-84/2020
Filing No.RCT 343/2020
CNR No. MP09070003662020
Registration Date 12-03-2020

(प्र.सू.रि. / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बेटमा, जिला इंदौर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	अपर लोक अभियोजन अधिकारी,
अभियुक्त	जिगर पुत्र रज्जू पारदी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रकाश धाकड़, अधिवक्ता

अपराध की तारीख	27 / 01 / 2020
प्र.सू.रि. की तारीख	27 / 01 / 2020
आरोप–पत्र की तारीख	12 / 03 / 2020
आरोपों के विरचना की तारीख	22 / 12 / 2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	12 / 04 / 2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	17 / 05 / 2023
निर्णय की तारीख	09 / 06 / 2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	————

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	जिगर पुत्र रज्जू	दिनांक 27.01.2020	दिनांक 29.01.2020	25(1–बी)(बी) आयुध अधि0	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	दिनांक 27.01.2020 से दिनांक 29.01.2020 तक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	गणेश	जब्ती एवं गिरफतारी साक्षी
अ.सा.2	सुरेश चौहान	अनुसंधान अधिकारी
अ.सा.3	देवकरण	जब्ती एवं गिरफतारी साक्षी
अ.सा.4	जितेन्द्र डाबर	हमराह साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1, अ.सा.2, अ.सा.3	जब्ती पत्रक

2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1, अ.सा.2, अ.सा.3	सूचना पत्र
3	प्रदर्शपी–3 /अ.सा.1	पुलिस कथन
4	प्रदर्शपी–4 /अ.सा.1	रवानगी सान्हा
5	प्रदर्शपी–5 /अ.सा.1	वापसी सान्हा
6	प्रदर्शपी–6 /अ.सा.1	धारा 65 बी का प्रमाणपत्र
7	प्रदर्शपी–7/अ.सा.2	पुलिस कथन
8	प्रदर्शपी–8 /अ.सा.4	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :

सं. कं.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी.1/ब.सा.1	कुछ नहीं

पुलिस थाना बेटमा, देपालपुर जिला इंदौर के **अपराध कमांक 51/2020** अपराध अंतर्गत **धारा 25(1–बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959** से उद्भूत प्रकरण

:: नि र्ण य ::
(आज दिनांक 09/06/2023 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा **25(1–बी) (बी) आयुध अधिनियम,1959** के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 27.01.2020 को करीब 15:30 बजे स्थान शिव मंदिर के पास ग्राम बजरंगपुरा अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना कं.6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि अनुसंधान अधिकारी सुरेश चौहान दिनांक 27.01.2020 को थाना से रवाना होकर हमराह आरक्षक जितेन्द्र के साथ ईलाका गश्त करते हुये माचल पहुंचे, तभी जरिये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि शिव मंदिर के पास ग्राम बजरंगपुरा बारी पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का

धारदार छुरा लेकर लोगों को डराम धमका रहा है, जिसके डर से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान देवकरण व गणेश को सूचना से अवगत कराया व हमराह लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छुरा लेकर लोगो को डरा धमका रहा है, जिसे हमराही पंचान की मदद से बमुश्किल पकडा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जिगर पिता रज्जू निवासी–बजरंगपुरा का होना बताया। अभियुक्त का कृत्य अभियुक्त का कृत्य 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम का पाया जाने से वापसी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार कर विचारण की मॉग की। धारा 313 दं.प्र.सं. के के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर उसका कहना है साक्षीगण रंजिशवश उसके विरूद्ध बोलते हैं, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है ।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जो प्रश्नबिन्दु विचारणार्थ उत्पन्न होता हैं, वह निम्नानुसार हैं :–

क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2020 को करीब 15:30 बजे स्थान शिव मंदिर के पास ग्राम बजरंगपुरा अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना कं.6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखी ?

–: सकारण निष्कर्ष :–

5. अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में अभियोजन की ओर से गणेश (अ.सा.1) सुरेश चौहान (अ.सा.2), देवकरण (अ.सा.3) व जितेन्द्र डाबर (अ.सा.4) का परीक्षण न्यायालय में कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

6. मामले में स्वतंत्र साक्षीगण गणेश अ.सा. 01 व देवकरण अ.सा.02 ने अपने

परीक्षण में बताया है कि वे अभियुक्त को नहीं जानते है, उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, जब्ती पंचनामा प्रपी–1 है, एवं गिरफतारी पंचनामा प्रपी–02 पर साक्षीगण ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

7. मामले में जब्तीकर्ता एवं अन्वेषण अधिकारी सुरेश चौहान आ.सा. 02 ने अपने परीक्षण में बताया है कि दिनांक 27.01.2020 को पुलिस थाना बेटमा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ईलाका भ्रमण में हमराह आरक्षक जितेन्द्र डाबर के साथ गये थे। ईलाका भ्रमण दौरान माचल पहुंचे तो वहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि शिव मंदिर के पास ग्राम बजरंगपुरा बारी पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिससे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मुखबिर की सूचना से पंचान साक्षीगण देवकरण व गणेश को अवगत कराया व बताये स्थान पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति हाथ में छुरा लिये खडा था, जो लोगों को डरा धमका रहा था, जिसे हमराह फोर्स की मदद से बमुश्किल पकडा व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जिगर पिता रज्जू निवासी–बजरंगपुरा बारी बेटमा का होना बताया। अभियुक्त से लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। मौके पर अभियुकत से धारदार छुरा जब्त कर जब्ती पत्रक प्रपी–04 बनाया व अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रपी–05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर असल अपराध क्रमांक 51/2020 धारा 25 बी आयुध अधिनियम के अंतर्गत कायमी की थी जो प्रपी–6 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान साक्षीगण देवकरण, गणेश व हमराह आरक्षक जितेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रकरण में धारा 65 बी का प्रमणपत्र संलग्न किया है, जो प्रपी–07 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण के साथ रोजनामचा सान्हा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है जो प्रपी–08 व 09 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया था।

8. मामले में हमराह आरक्षक जितेन्द्र डाबर अ.सा.04 द्वारा अपने न्यायालयीन

परीक्षण के दौरान बताया है कि वह दिनांक 27.01.2020 को थाना बेटमा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह थाने के सुरेश हेड साहब के साथ ईलाका भ्रमण के लिये गया था। भ्रमण के दौरान सुरेश हेड साहब को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति छुरा लेकर घूम रहा है। सूचना पर से हेड साहब द्वारा मुझे अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम बजरंगपुरा के लिये रवाना हुये। जब वे बजरंगपुरा गांव के लिये निकल रहे थे, तब सुरेश हेड साहब ने बीच में दो लोगों को लिया था, उन लोगों के नाम वह नहीं बता सकता। फिर मुखबिर द्वारा बताये स्थाने पर पहुंचे तो देखा कि एक लडका जो पारदी है, वह नशे में लग रहा है और उसके पास एक छुरे टाईप का हथियार है। उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेश बताया, फिर कहा कि जिगर बताया। लाईसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया। मौके से अभियुक्त जिगर से हेड साहब ने छुरा जब्त किया व गिरफतार कर थाने लेकर आये।

9. मामले में जब्तीकार्ता अधिकारी सुरेश चौहान आ.सा. 02 ने अपने परीक्षण में जब्तशुदा आयुध मौके पर सीलपैक किये जाने के संबंध में कोई कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। जब्ती पत्रक प्रपी 04 पर भी ऐसा कोई उल्लेख लेखबद्ध नहीं किया गया है। जब्तशुदा आयुध मौके पर सीलपैक न किये जाने के पश्चात किस स्थान पर सील पैक किया गया, उसका कोई उल्लेख अभिलेख पर नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि जब्तशुदा आयुध जब्ती दिनांक से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की अवधि में किस सुरक्षित अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में मामले में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा इस संबंध मे तर्क किया गया है कि रोजनामचा सान्हा प्रपी–08 के अनुसार यह जब्तशुदा आयुध थाना एचसीएम को सुपुर्द किया गया है। परंतु मामले में जब्तशुदा आयुध मालखाना थाना बेटमा के अनुसार आ जाने का कोई भी क्रमांक अभिलेख पर नहीं आया है। अंतिम प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 10 में थाना संपत्ति रजिस्टर का क्रमांक भी रिक्त है, ऐसी स्थिति में मौके पर आयुध सील पैक ना किया जाना तथा उसे सुरक्षित अभिरक्षा में ना रखा जाना निश्चित रूप से जब्ती कार्यवाही सहित

अभियोजन के समस्त मामले को संदेहास्पद बनाता है। मामले के स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियेाजन के मामले का समर्थन न किये जाने, जब्ती कार्यवाही संदिग्ध होने से तथा अभिलेख पर तात्विक प्रकृति के विरोधाभास के आलोक में अभियोजन का यह मामला विश्वसनीय नहीं है। आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में प्रदान किया जाता है।

10. आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है और अभियोजन पर यह गुरूत्तर दायित्व होता है कि वह समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करे कि कारित अपराध अपने समस्त अवयवों के साथ घटित हुआ और अभियुक्त ही उसका एकमात्र कर्ता है। प्रकरण की परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन अपने इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सका है।

11. अभिलेख पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2020 को करीब 15:30 बजे स्थान शिव मंदिर के पास ग्राम बजरंगपुरा अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकस्थान है, पर धारा 4 आयुध अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना क्रं.6312–6552–2 बी.–1 दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में एक लोहे का धारदार छुरा अपने आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः विचारोपरांत यह न्यायालय **अभियुक्त जिगर पिता रज्जू पारदी निवासी–ग्राम बजरंगपुरा तह0 देपालपुर जिला इंदौर** को **धारा 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

12. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत और मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

13. अभियुक्त का धारा 428 दप्रसं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

14. मामले में जब्तशुदा एक लोहे का तेज धारदार छुरा मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा नियम एवं आदेश आपराधिक म.प्र. क नियम 680(4) के अनुसार संपत्ति के व्ययन के संबंध में आदेश संपत्ति ज्ञापन पर लिखकर ज्ञापन नायब नाजिर मालखाना को भेजा जावे और उसकी अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका में ली जाये, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)